



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नकुड, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22.05.2024 को वादी की तहरीरी सूचना बावत वादी की पुत्री को अभियुक्त सचिन पुत्र बिरमा सिंह निवासी ग्राम बमनौली जनपद यमुनानगर (हरियाणा) द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के संबंध में थाना नकुड पर मु0अ0सं0 147/2024 धारा 363 भादवि बनाम सचिन उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त रितेश पुत्र सिताब सिंह निवासी ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया था जिसको दिनांक 14.06.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अपहृता/पीडिता को दिनांक 04.07.2024 को सकुशल बरामद किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा वांछित **अभियुक्त सचिन पुत्र बिरमा सिंह निवासी ग्राम बमनौली जिला यमुनानगर (हरियाणा)** को सरसावा तिराहा, नकुड से गिरफ्तार किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त रितेश उपरोक्त के विरुद्ध धारा 368 भादवि व 16/17 पोक्सो एक्ट व अभियुक्त सचिन उपरोक्त के विरुद्ध धारा 376 भादवि व 3/4(2) व 16/17 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सचिन पुत्र बिरमा निवासी ग्राम बमनौली जिला यमुनानगर (हरियाणा)

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रचित यादव थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.07.2024 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त वसीम पुत्र बशीर निवासी गागलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं 2773/22 व मु0अ0सं 30/06 धारा 457/380 भादवि चालानी थाना गागलहेडी को कस्बा गागलहेडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वसीम पुत्र बशीर निवासी कस्बा व थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं 30/06 धारा 457,380 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
3. है0का0 289 जोगिन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।



दिनांक: 19.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.07.2024 को 01 वारंटी अभियुक्त नीरज पुत्र राजपाल निवासी रबझाया वाला मौ0 जाटव नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 1885/2022 व मु0अ0सं0 294/22 धारा 398/411 भादवि चालानी थाना सदर बाजार माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद सहारनपुर को थाना क्षेत्र कुतुबशेर से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

नीरज पुत्र राजपाल निवासी रजवाहा वाला मौ0 जाटव नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रामबाबू सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 54 आनन्द थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1811 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 19.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 28/2/2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त राजदीप पुत्र बलजीत नि० ग्राम लक्सरी थाना लक्सर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) द्वारा वादी की बहन को बहलाफुसलाकर खाने की चीज में कुछ नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 45/2024 धारा 366/376/328/120 बी भादवि के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18/07/2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे **अभियुक्त राजदीप पुत्र बलजीत निवासी ग्राम लक्सरी थाना लक्सर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)** को रेलवे स्टेशन रोड मस्जिद के पास कस्बा सरसावा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजदीप पुत्र बलजीत नि० ग्राम लक्सरी थाना लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है० का० 1006 तरुण त्यागी थाना सरसावा सहारनपुर
3. है०का० 892 अजय राठी थाना सरसावा सहारनपुर



दिनांक: 19.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारन्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.07.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सज्जाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम लण्ढौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर हाल पता बूचा खेडी थाना कैराना जनपद शामली सम्बन्धित वाद सं0-209/2024 मु0अ0सं0-76/96 धारा 379 भादवि (एनबीडब्लू/धारा 82/83 सीआरपीसी) में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सज्जाद उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सज्जाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम लण्ढौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर हाल पता बूचा खेडी थाना कैराना जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 श्री मूलचन्द थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर ।
2. का0 2380 हरवेन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर ।



दिनांक: 19.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11, सहारनपुर द्वारा NDPS ACT के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सनाई गयी **सजा** –

अवगत कराना है कि दिनांक 19.03.2019 को वादी उ०नि० श्री दीपचन्द थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त शमशाद पुत्र जमशेद निवासी खुजनावर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर के कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना के आधार पर मु०अ०सं० 75/2019 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना फतेहपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 860/2020 पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11, जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 19.07.2024 को अभियुक्त शमशाद पुत्र जमशेद धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त शमशाद उपरोक्त थाना स्तर पर हिस्ट्रीशीटर अपराधी है।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री अमित कुमार त्यागी

विवेचक उ०नि० श्री अनुज कुमार

पैरोकार का० 378 बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 19.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12, सहारनपुर द्वारा नशा तस्करी के मामले में 02 अभियुक्तों को 06 माह 25 दिन का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गयी **सजा** –

अवगत कराना है, कि दिनांक 29.12.2023 को वादी उ०नि० श्री रोबिल्स कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त 1. मुकर्रम पुत्र अकरम व 2. प्रवेज पुत्र जरीन निवासीगण ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर के कब्जे से 15 ग्राम स्मैक बरामद होने पर मु०अ०सं० 517/2023 धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना बेहट पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 688/2024 पर मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12, सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मा०नि०ट्रिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 19.07.2024 को अभियुक्त 1.मुकर्रम पुत्र अकरम 2.प्रवेज पुत्र जरीन धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट में दोषी पाते हुए 06 माह 25 दिन का कठोर कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री सुशील यादव
विवेचक उ०नि० श्री जितेन्द्र कुमार
पैरोकार का० 1752 रवि कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

